मीरजापुर पुलिस

—प्रेस नोट—

दिनांकः06.12.2025

थाना चुनार पुलिस द्वारा अष्टधातु की मूर्ति चोरी की घटना से सम्बन्धित ₹ 20 हजार का इनामियाँ पाँचवाँ अभियुक्त गिरफ्तार —

"सोमेन बर्मा" वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मीरजापुर द्वारा जनपद में शांति एवं कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाये रखने तथा अपराध की रोकथाम एवं इनामियाँ/पुरस्कार घोषित अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान में प्रभावी कार्यवाही करते हुए अभियुक्तों की गिरफ्तारी करने हेतु जनपद के समस्त थाना प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष गण को निर्देश दिये गये हैं।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में अपर पुलिस अधीक्षक आपरेशन व क्षेत्राधिकारी चुनार के नेतृत्व में थाना चुनार पुलिस टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आज दिनांकः06.12.2025 को प्रभारी निरीक्षक चुनार-विजय शंकर सिंह मय पुलिस टीम क्षेत्र में भ्रमणशील थे कि इस दौरान जरिए मुखबिर वांछित/इनामियाँ अभियुक्त के थाना क्षेत्र में होने की सूचना प्राप्त हुई। उक्त सूचना पर थाना चुनार पुलिस टीम द्वारा थाना चुनार क्षेत्रांतर्गत ग्राम जमुई हाइवे अण्डरपास से ₹ 20 हजार के इनामियाँ अभियुक्त-पवन कुमार उर्फ पप्पू पटेल पुत्र अर्जुन पटेल निवासी बसाढ़ी थाना अहरौरा जनपद मीरजापुर को गिरफ्तार कर नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही करते हुए मा0न्यायालय/जेल भेजा गया।

अष्टधातु की वेणुगोपाल की मूर्ति चोरी की उपरोक्त घटना में पूर्व में 04 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जा चुकी है तथा अष्टधातु की मूर्ति वजन करीब-15 किग्रा को बरामद किया जा चुका है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त —

पवन कुमार उर्फ पप्पू पटेल पुत्र अर्जुन पटेल निवासी बसाढ़ी थाना अहरौरा जनपद मीरजापुर, उम्र करीब-49 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग—

मु0अ0सं0-193/2025 धारा-16 प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904, धारा-25 प्राचीन वस्तु एवं कला खजाना अधिनियम 1972 व धारा 317(2),317(5) बीएनएस थाना चुनार जनपद मीरजापुर।

गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समय —

ग्राम जमुई हाइवे अण्डरपास से, आज दिनांकः06.12.2025 को समय 09:30 बजे।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम—

प्रभारी निरीक्षक थाना चुनार-विजय शंकर सिंह।

उप-निरीक्षक हरिशंकर यादव, मुख्य आरक्षी सुमित सिंह व विनय राय।

****